



प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

फॉर्म वर्जन 2.0 (आईडीसी / बीपीएल / एचयूआर)

उज्ज्वला केवाईसी आवेदन

(काली स्पॉली द्वारा बड़े अक्षरों में भरना जाना है। सभी फ़िल्ड भरना अनिवार्य है।)

उपभोक्ता विवरण

a) आवेदक का नाम सुश्री / श्रीमती										b) जन्म तिथि					
1	प्रथम नाम									D	D	M	M	Y	Y
2	मध्य नाम														
3	अंतिम नाम														

अपनी तस्वीर यहां चिपकाएं

b) रसोई गैस कनेक्शन के लिए पता / संपर्क जानकारी

1	पते का प्रमाण (पीओए) श्रेणी कोड*	P	O	A	सैबलान (रसोई कोड सहित)	/									
2	घर / फ्लैट # का नाम														
3	आवास परिसर / भवन														
4	गली/सड़क का नाम														
5	शहर / कस्बा														
6	गांव / पंचायत														
7	ब्लॉक / उप जिला														
8	जिला														
9	राज्य														

c) 18 वर्ष से अधिक उम्र के परिवार के सदस्यों का विवरण (साझी रसोई वाले एक आवासीय इकाई में एक साथ रहने वाले लोग)

क्र. सं.	आवेदक के साथ संबंध	नाम (प्रथम नाम, अंतिम नाम)	आधार संख्या (आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें)	लिंग (M/F)
1				
2				
3				
4				
5				

पहल में शामिल होने संबंधी विवरण

e) मेरा आधार कार्ड विवरण (आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें)

1	आधार कार्ड में नाम														
2	आधार संख्या														

d) मेरे बैंक खाते का विवरण (पसबुक/बैंक स्टेटमेंट/रद चेक की प्रति संलग्न करें, जिस पर खातधारक का नाम/खाता सं. व आईएफएससी कोड लिखा हो)

1	बैंक खाते में नाम														
2	बैंक का नाम														
3	शाखा का नाम														
4	आईएफएससी कोड														
5	बैंक खाता संख्या														

राशन कार्ड विवरण (राशन कार्ड की प्रति संलग्न करें)

1	जारीकर्ता राज्य														
2	राशन कार्ड संख्या														

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विवरण

- a) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसी) द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों से संबंधित महिलाओं को नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं।
 b) यह योजना सिलिंडर, प्रेशर रेगुलेटर की सुरक्षा जमा लागत, घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड (डीजीसीसी), सुरक्षा हीज तथा रथापना व प्रशासनिक प्रशासकीय लागत को कवर करने के लिए सहायता प्रदान करता है।
 c) ओएमसी के पास उपलब्ध बीपीएल जनसंख्या की अधिकृत सूची से इस केवाईसी फार्म में प्रस्तुत जानकारी को सत्यापित किया जाएगा।
 d) आपके घर पर पीडीएस एलपीजी कनेक्शन न होने की पुष्टि तथा सफल सत्यापन पर आपको लागू नियम एवं शर्तों के अधीन रसोई गैस कनेक्शन जारी किया जाएगा।

- पीओए दस्तावेजों की सूची
 आधार कार्ड (यू.आई.डी): पीओए01
 इंडिया सड़क सं.:- पीओए02
 लोन कार्ड:- पीओए03
 पतन पत्र:- पीओए04
 टेलीफोन / बिजली / पानी के बिल:- पीओए05
 पासपोर्ट:- पीओए06
 राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापित स्व-घोषणा:- पीओए 07
 राशन कार्ड:- पीओए 08
 पैनल आपूर्तन / कक्षा सं.:- पीओए 09
 आवास वजीकरण दस्तावेज:- पीओए0
 एलआईसी पॉलिसी:- पीओए11
 बैंक / क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट:- पीओए12



उपकरण चयन (उपयुक्त बॉक्स / बॉक्सों को टिक करें)

1	वांछित एलपीजी सिलेंडर का प्रकार (वांछित उपकरण का चयन करें)	14.2 किलो सिलेंडर	5 किलो सिलेंडर
2	क्या आपको वितरक से एलपीजी स्टोव चाहिए (हां या नहीं)	हां	नहीं

प्रिय एलपीजी वितरक,

मैं _____ पुत्री/पत्नी _____ उम्र _____ वर्ष, निवासी _____

अपने नाम रसोई गैस कनेक्शन लेना चाहता हूँ तथा शपथ करता हूँ कि :-

- मैं यहाँ पुष्टि करता हूँ कि, इस प्रपत्र में प्रस्तुत जानकारी सही है और कुछ भी नहीं छुपाया गया है और मुझे मालूम है कि यदि कोई सूचना झूठी है, तो भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय है।
- मैं आई.ओ.सी./एलपीजी/बीपीसी/एक.ओ.पी.एल.एन.जी को मेरे बैंक खाते के बंद/परिवर्तन/निष्क्रियता/बैंक NACH में नहीं या बैंक द्वारा किली भी अस्वीकृति या जानकारी की गैर-सहमति/बन्धन के कारण सविस्तर प्रदान करने में किसी भी देरी/गैर प्राप्ति के लिए जिम्मेदार नहीं उभराऊंगा।
- उपरोक्त जानकारी में किसी भी संशोधन/परिवर्तन के मामले में, मैं एलपीजी वितरक को सूचित करूंगा।
- मैं अपने आपर मैजिनस्ट्राइमकीय हेटा/बैंक खाता विवरण को अपतल तथा आपस में एवं बाहरी एजेंसियों द्वारा डी.यू.एन.के.एन/प्रमाणिकरण/सत्यापन उद्देश्यों हेतु सदा करने के लिए अपनी तेल कंपनी/बैंक को प्राधिकृत करता हूँ।
- एलपीजी के आपूर्ति तथा वितरण संबंधी सरकारी विनियमों के उल्लंघन पर आई.ओ.सी./एच.पी.सी./बीपीसी को मुझे एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति रोकने, सुरक्षा राशि जमा करने तथा वियम एवं विमाननिर्देशों के अनुसार बंद प्रोग्राम लगाने तथा प्रायश्चित्त के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अपना अधिकार होगा।
- मैं भारत का नागरिक / अथवासी भारतीय / भारत में सेवारत विदेशी नागरिकता का कर्मचारी / बैंक बीसा के तहत भारत में निवास कर रहा विदेशी नागरिक / निवास स्थापनाकरण / पीआईसी पर भारत प्रवास लौट रहा व्यक्ति हूँ। *जो लागू हो उसे टिक करें। केवल भारतीय नागरिक ही रियायती एलपीजी हेतु पात्र हैं।
- कि मेरी जन्म तिथि _____ है। (18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को एलपीजी कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है)
- कि मेरे या मेरे परिवार (परिवार का अर्थ पति, पत्नी, अविवाहित बच्चे तथा आश्रित माता-पिता से है जो एक साथ रहते हैं तथा एक ही रसोई का प्रयोग करते हैं) के किसी सदस्य के पास परेश उपयोग हेतु किसी भी पीएसयू तेल कंपनी का कोई एलपीजी अथवा पीएनजी कनेक्शन नहीं है। (परिवार, जिसके पास पीएनजी कनेक्शन है, वे रियायती एलपीजी हेतु पात्र नहीं हैं।)
- मैं पुष्टि करता हूँ कि मुझे जारी किए गए एलपीजी कनेक्शन का उपयोग अथवा उल्लिखित मेरे पते पर घर में केवल खाना बनाने हेतु किया जाएगा तथा मैं इसके उपयोग पर लागू सभी शर्तों से वाक्य रहूंगा।
- कि मैं उसी रसोई में कोई दूसरा एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं रखूंगा।
- जब भी मुझे इस कनेक्शन पर दूसरा सिलिंडर मिलेगा, मैं इसका उसी रसोई में न्यून सत्यापन के साथ उपयोग करूंगा।
- जब भी मैं अपना नियंत्रण यंत्रणन पते से अन्य जगह बदलूंगा, मैं मेराट _____ (वितरक / आरजीजीएलपी का नाम) को रिफार्ड में अपने पते में परिवर्तन करने हेतु लिखित रूप में अधिसूचित करूंगा।
- मुझे पता है कि मेरे द्वारा उपरोक्त घोषणा पत्र तथा अपने ब्राह्म को जाने (केवाईसी) काल में दी गई जानकारी, विवास प्रमाण तथा पहचान प्रमाण के अधिन पर सख्त सख्तियुक्त गैस कनेक्शन को कि मुझे मेराट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)/भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा जारी किया जाएगा तथा मेरे नाम या मेरे परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम किसी भी सरकारी तेल कंपनी का परेश सख्तियुक्त गैस कनेक्शन होने की डी.यू.एन.के.एन जांच पूरी होने के बाद ही इसे जारी किया जाएगा।
- यदि इस घोषणापत्र में मेरे द्वारा दी गई कोई भी सूचना / घोषणा, केवाईसी फार्म अथवा नियंत्रण / पहचान प्रमाण के लिए दिए गए दस्तावेज गलत/असत्य पाए जाते हैं तो संबंधित तेल कंपनी को गैस की आपूर्ति रोकने/कनेक्शन बंद करने/उपकरण जमा करने/सिक्वोरिटी जमा करने का पूरा अधिकार होगा तथा मैं इस प्रकार गैस की आपूर्ति रोकने/कनेक्शन बंद करने/उपकरण जमा करने/सिक्वोरिटी जमा करने के बिना मेराट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड/भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन पर कोई दावा नहीं करूंगा।

तिथि :- _____

स्थान :- _____

घोषणा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम :- _____

डीलर/वितरक द्वारा भरा जाए

मैं पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त दस्तावेजों की प्रतियों को उनकी मूल प्रति से सत्यापित कर लिया गया है।

एचएल टिन नंबर

(एचएल टिन नंबर एसईसीसी सूची में विहित है जो परिवार में किसी व्यक्ति से संबंधित है।)

एलपीजी आईडी (यदि आवंटित हो)

वितरक के हस्ताक्षर

पावती पंजी

(नाम) _____ स्थान _____ से उज्ज्वला आवेदन प्रपत्र प्राप्त किया गया।

एचएल टिन नंबर

(एचएल टिन नंबर एसईसीसी सूची में विहित है जो परिवार में किसी व्यक्ति से संबंधित है।)

दिनांक:

वितरक के हस्ताक्षर व मुहर